उत्तर प्रदेश शासन
नियोजन अनुभाग-3
संख्या: 14/2023/I/407706 /35-3-2023
लखनऊ: दिनांक: 13 अक्टूबर, 2023

संशोधन/ शुद्धिपत्र

गिरि विकास अध्ययन संस्थान, लखनऊ को वित्तीय वर्ष 2023-24 में सैलरी मद (ओएच-36) के अन्तर्गत अनुदान राशि रू0 27,00,00/- को अवमुक्त किये जाने विषयक नियोजन अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-I/394662/2023 दिनांक 25.09.2023 में जहां कहीं भी धनराशि रू0 27,00,00/- अंकित है, उसके स्थान पर धनराशि रू0 27,00,000/- पढा एवं लिखा समझा जाय।

2- उक्त शासनादेश दिनांक 25.09.2023 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

(उमेश यादव)
उप सचिव।

संख्या- 14 /2023/I/407706/35-3-2023, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, लेखा परीक्षा प्रथम व द्वितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
3- वरिष्ठ आडिट आफीसर(आडिटर प्लानिंग)कार्यालय महालेखाकार, लेखा परीक्षा प्रथम, सत्यनिष्ठ भवन,15 थार्नहिल रोड, इलाहाबाद।
4- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
5- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
6- उप निदेशक, (अर्थ एवं संख्या) लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
7- अर्थ एवं संख्याधिकारी, लखनऊ
8- सदस्य-सचिव, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद,पोस्ट बाक्स नं0-10580,अरूणा आसफ अली मार्ग, नई दिल्ली।
9- निदेशक, गिरि विकास अध्ययन संस्थान, लखनऊ।
10- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
11- नियोजन अनुभाग-1।
12- गार्ड फाइल/स्वीकृत पंजी।

आज्ञा से,

(उमेश यादव)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in